



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं 307/2022

निर्णय सुरक्षित किया गया : 07/04/2025

निर्णय पारित किया गया: 23 /04/2025

- 1 - कुंवर सिंह पिता स्वर्गीय जगताराम यादव , 84 वर्ष, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 2 - जयपाल यादव पिता कुंवर सिंह , 44 वर्ष, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - अहिल्या बाई विधवा रामगोपाल यादव , लगभग 48 वर्ष, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 4 - अवयस्क कु. प्रियंका पिता स्वर्गीय रामगोपाल यादव, 17 वर्ष , प्राकृतिक संरक्षक माता अहिल्या बाई पति रामगोपाल यादव, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 5 - अवयस्क कु. सुषमा पिता स्वर्गीय रामगोपाल यादव, 15 वर्ष , प्राकृतिक संरक्षक माता अहिल्या बाई पति रामगोपाल यादव, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 6 - अवयस्क कु. सुलोचना पिता स्वर्गीय रामगोपाल यादव, 15 वर्ष , प्राकृतिक संरक्षक माता अहिल्या बाई पति रामगोपाल यादव, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 7 - अनीता बाई पिता कुंवर सिंह , 32 वर्ष, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- 8 - ललिता बाई पिता कुंवर सिंह 28 वर्ष, निवासी गाँव-राजकम्पा, तहसील, तख्तपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम



- 1 - सुशीला बाई पिता कुंवर सिंह जाति-यादव, निवासी गाँव-घोरमार, तहसील, तखतपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।,जिला :बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 2-इंदु बाई, पिता कुंवर सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति यादव, निवासी ग्राम बीज, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।,जिला :बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टर के द्वारा बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ,जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्ताओं हेतु :श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 1 तथा 2 हेतु :श्री रवीन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

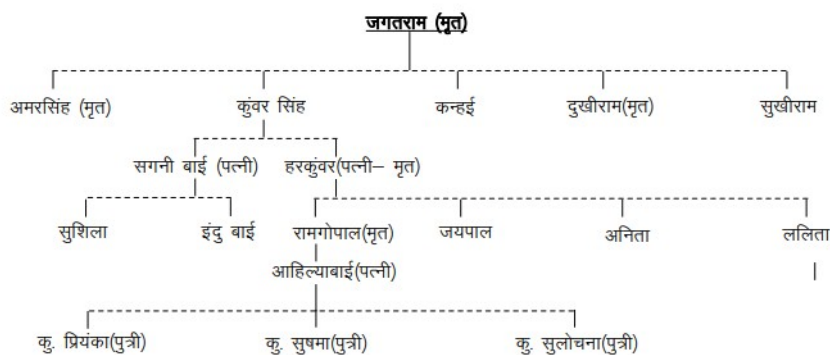
उत्तरवादी संख्या 3 हेतु :श्री संतोष सोनी, शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायाधीश

सी ए वी निर्णय

1. यह उत्तरवादीगण की द्वितीय अपील है, जो सिविल अपील संख्या 17-ए/2019 में 7 वें अपर जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 10.01.2022 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध सीपीसी की धारा 100 के तहत दायर की गई है, जिसमें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- II, तखतपुर, जिला बिलासपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 76-ए/2011 में पारित दिनांक 26.11.2018 के निर्णय और डिक्री को उलट दिया गया है, जिसके तहत स्वामित्व, कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए वादी के वाद को उनके पक्ष में डिक्री किया गया है।[सुविधा के लिए, पक्षों को विचारण न्यायालय के समक्ष दायर वाद पत्र में दर्शायी गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा]।

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह है कि उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए सिविल वाद दायर किया कि दोनों पक्ष स्वर्गीय जगताराम के वंशज हैं। निम्न वंशावली वृक्ष पक्षों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है :---



इस प्रकार, वादीगण सगनी बाई की पुत्रियां हैं, जो कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) की पहली पत्नी थीं और प्रतिवादी क्रमांक 2 से 8, हरकुंवर के क्रमशः पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू और पौत्रियां हैं, जो कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) की दूसरी पत्नी थीं। प्रतिवादी क्रमांक 1- कुंवर सिंह को वाद पत्र के साथ संलग्न अनुसूची "ए" में उल्लिखित वाद संपत्ति अपने पिता से प्राप्त हुई थी। सगनी बाई से पुत्र न होने के कारण कुंवर सिंह ने तलाक लिए बिना ही अपने समाज में प्रचलित छुरी प्रथा के अनुसार दूसरी पत्नी स्वर्गीय हरकुंवर बाई बना ली थी। इसके बाद कुंवर सिंह ने अपनी पहली पत्नी सगनी बाई को घर से निकाल दिया। अक्टूबर 2011 में हरकुंवर बाई की मृत्यु होने पर जब वादीगण अनुष्ठान में शामिल होने गए और संपत्ति का विभाजन मांगा तो उनके पिता कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) और भाई जयपाल ने उन्हें बताया कि संपत्ति का विभाजन हो चुका है और उसे रामगोपाल और जयपाल को दे दिया गया है, इसलिए उन्होंने उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। उस समय, वादीगण को उपरोक्त तथ्य के बारे में पता चला, क्योंकि कथित अवैध विभाजन के बाद, वादीगण को सूचित किए बिना, वाद की संपत्ति को रामगोपाल और जयपाल के नाम पर नामांतरण कर दिया गया है। चूंकि वाद की संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति है, इसलिए, अपने 1/7 वें हिस्से का दावा करते हुए, उन्होंने प्रतिवादियों के विरुद्ध स्वामित्व, कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा की अनुतोष की मांग करते हुए सिविल वाद दायर किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने अपना संयुक्त लिखित कथन दायर किया, जिसमें उन्होंने पक्षों के बीच वंशावली वृक्ष / संबंध पर विवाद नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि वाद की संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति नहीं थी, बल्कि यह प्रतिवादी संख्या 1 - कुंवर सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी। उन्होंने तर्क दिया गया है कि लगभग 35 साल पहले, वादी की माता सगनी बाई ने प्रतिवादी सं 1 का साथ छोड़ दिया था और उन्हें बंटवारे में चल संपत्ति दी गई थी, वे अपने साथ गहने भी ले गई थीं और उन्हें बेचकर उन्होंने अपने भतीजे सुनहरा के नाम पर जमीन खरीदी थी। प्रतिवादियों का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद की संपत्ति का विभाजन कर उसे अपने पुत्रों रामगोपाल और जयपाल को दे दिया था। प्रतिवादियों का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी क्रमांक 1 के पुत्र के लिए रामगोपाल और जयपाल की भूमि के बदले में ट्रैक्टर खरीदा था, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा मार्जिन मनी भी चुकाई गई थी। उक्त ट्रैक्टर ऋण पर खरीदा गया था, लेकिन चूंकि वादी क्रमांक 1 के पुत्र सुशीला



बाई द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए वह ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी के कब्जे में था और ऋण का भुगतान रामगोपाल और जयपाल ने खसरा क्रमांक 134, 135 और 280 वाली अपनी भूमि बेचकर किया था। इस प्रकार, वादी उनके द्वारा मांगे गये अनुतोष पाने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि उनके द्वारा दायर वाद की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

4. पक्षों के तर्क के आधार पर, विचारण न्यायालय ने 7 विवाद्यक निर्धारित किया, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्ज किए और उन पर और पक्षों के तर्क पर विचार करने के बाद, सिविल वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वाद की संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति है।

5. इससे व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वादी ने सिविल अपील संख्या 17-ए/2019 के तहत प्रथम अपील दायर की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णय पारित किया कि वाद की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 - कुंवर सिंह की पैतृक संपत्ति थी, क्योंकि उसे यह संपत्ति उसके भाइयों से आपसी विभाजन में मिली थी, जिसे उनके भाइयों ने अपने पिता स्वर्गीय जगताराम से प्राप्त किया था और इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को उलट दिया और वादियों द्वारा दायर सिविल अपील को उनके पक्ष में डिक्री प्रदान करने की अनुमति दी। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा चुनौती देते हुए द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

6. यह द्वितीय अपील निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्नों पर सुनवाई के लिए स्वीकार की गई है:-

1. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटना न्यायोचित है या नहीं?

2. क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह माना जाना कि सिविल वाद सीमा के भीतर है, विकृत तथा अवैध है?

7. अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से वाद की संपत्ति स्वर्गीय जगताराम की है, उनकी भूमि का विभाजन उनके पांच पुत्रों के बीच किया गया था तथा उस विभाजन में, वाद की संपत्ति वर्ष 1994 से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 - कुंवर सिंह के हिस्से में आ गई थी तथा वर्ष 1994 में, कुंवर सिंह ने अपने पुत्रों रामगोपाल तथा जयपाल के बीच दिनांक 19.10.1994 को विभाजन किया, तत्पश्चात, वर्ष 1994 में राजस्व अभिलेख में उनके नाम परिवर्तित किए गए। लेकिन सुशीला बाई और इंदु बाई नामक वादी ने 01.12.2011 को सिविल वाद दायर किया। उन्होंने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम [संशोधन अधिनियम, 2005] की धारा 6 के संशोधित प्रावधान के अनुसार 20.12.2004 से पहले किए गए स्वामित्व और विभाजन की घोषणा को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, वादी द्वारा दायर सिविल वाद पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह 1.12.2011 को दायर किया गया था, जो 20.12.2004 की अवधि से परे था। आगे यह तर्क दिया गया है कि कुंवर सिंह (प्रतिवादी नंबर 1) ने वर्ष 1994 में अपने बेटों स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल के हिस्से में संपत्ति दी थी और उसी वर्ष, राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर संपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन वादी द्वारा 01.12.2011 को वर्तमान सिविल वाद दायर किया गया है। इस प्रकार, वाद सीमा द्वारा वर्जित



है, लेकिन ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि वाद समय सीमा के भीतर है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि सिविल वाद को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण निष्कर्षों को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी ठोस कारण के उलट दिया है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि अपील को स्वीकृति दी जाए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाए और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को पुनर्स्थापित किया जाए।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 / वादी के लिए उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि निर्विवाद रूप से, मुकदमे की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1-कुंवर सिंह के पिता (स्वर्गीय जगताराम) के स्वामित्व में थी और जगताराम की मृत्यु के बाद, इसे कुंवर सिंह (प्रतिवादी संख्या 1) और उनके भाइयों के नाम पर नामांतरण किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1-कुंवर सिंह के भाइयों के बीच आपसी विभाजन में, वाद की संपत्ति उनके हिस्से में उनके द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि वाद की संपत्ति प्रतिवादियों अर्थात् स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल के नाम पर वर्ष 1994 में उनके पिता कुंवर सिंह (प्रतिवादी सं. 1) द्वारा किए गए कथित विभाजन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई थी, लेकिन वह विभाजन वैध विभाजन नहीं था, क्योंकि उस बंटवारे में स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल को छोड़कर किसी अन्य हिस्सेदार को उनका हिस्सा नहीं दिया गया था और यहां तक कि कुंवर सिंह (प्रतिवादी सं. 1) को भी केवल इसलिए अपना हिस्सा नहीं दिया गया था, ताकि वादीगण को वाद की संपत्ति से वंचित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (5) केवल पंजीकृत बंटवारे या पक्षकारों के बीच न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए विभाजन को संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन उक्त प्रावधान की आड़ में, उपरोक्त प्रावधानों का आह्वान करके अवैध विभाजन को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि कुंवर सिंह द्वारा अपने पुत्रों और पुत्रियों के बीच कोई वैध विभाजन नहीं किया गया था, इसलिए, ऐसे अवैध बंटवारे को उपरोक्त प्रावधान के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कथित विभाजन/नामांतरण वादी को सूचित किए बिना किया गया था और उन्हें उक्त तथ्य के बारे में पहली बार अक्टूबर, 2011 में पता चला था। इसके बाद, उन्होंने 01.12.2011 को सिविल वाद दायर किया, जो कि समय सीमा अवधि के भीतर है। इसलिए, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा उनके पक्ष में दायर वाद को आदेशित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को सही ढंग से उलट दिया है, इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रतिवादियों द्वारा दायर द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख को अत्यंत सावधानी से देखा है।

10. वादी - सुशीला बाई (पीडब्लू-1) ने यह बयान दिया है कि वाद की संपत्ति उसके दादा - स्वर्गीय जगताराम की थी और प्रतिवादी संख्या 1 - कुंवर सिंह और उसके भाइयों के बीच हुए बंटवारे में वाद की संपत्ति उसके पिता



कुंवर सिंह के हिस्से में आई थी। इस तथ्य का समर्थन सुखीराम (पीडब्लू-2) ने भी किया है, जो प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह का भाई है।

11. यद्यपि, प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह (डीडब्लू-1) और प्रतिवादी संख्या 2 – जयपाल यादव (डीडब्लू-2) ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वाद की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी, परंतु प्रतिपरीक्षा में उन्होंने वादी के अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वाद की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह ने अपने भाइयों के बीच हुए विभाजन में प्राप्त की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता से वाद की संपत्ति प्राप्त की थी।

12. वादीगण ने ' नामांतरण पंजी' (एक्स.पी-9) से (एक्स.पी-12) की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की है, जिससे यह ज्ञात होता है कि जगताराम की मृत्यु के बाद, एक्स.पी-9 के अनुसार, उसकी भूमि उसके पुत्रों अमर सिंह, कुंवर सिंह (प्रतिवादी संख्या 1), कन्हई राम, दुखी राम और सुखीराम के नाम पर दर्ज कर दी गई। "नामांतरण पंजी " (एक्स.पी-10) से (एक्स.पी-12) में की गई प्रविष्टियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुंवर सिंह और उनके भाइयों ने आपसी सहमति से अपनी जमीनों को आपस में विभाजित लिया था और उसके बाद वे अपने-अपने हिस्से की जमीनों पर खेती कर रहे थे। उपरोक्त दस्तावेज यह भी दर्शाते हैं कि 19.10.1994 को उनके बीच पहले से हुए आपसी विभाजन के आधार पर उन्होंने अपने हिस्से राजस्व अभिलेखों (उत्केारज की आयत) में अलग-अलग दर्ज करा लिए और उस समय प्रतिवादी संख्या 1-कुंवर सिंह ने अपने हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने के बजाय अपने हिस्से की जमीनों को वादीगण और स्वयं को हिस्सा दिए बिना अपने पुत्रों रामगोपाल और जयपाल के नाम दर्ज करा लिया। उपरोक्त तथ्य विशेष रूप से दर्शाते हैं कि प्रतिवादी सं. 1 – कुंवर सिंह द्वारा अपने दो पुत्रों अर्थात् स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल के बीच किया गया विभाजन वैध विभाजन नहीं था, क्योंकि पैतृक संपत्ति होने के बावजूद, उन्होंने अपनी बेटियों (वादी) को कोई हिस्सा नहीं दिया, जबकि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनके पास सहदायिक/उत्तराधिकारी अधिकार थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बेटियों के पास भी सहदायिक अधिकार होगा और वे पैतृक संपत्ति में पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही उत्तराधिकारी होंगी, भले ही पिता जीवित हों या नहीं। इस प्रकार, पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से, यह बहुत अच्छी तरह से साबित होता है कि वाद की संपत्ति वादकारियों की पैतृक संपत्ति थी

13. यद्यपि, वाद संपत्ति खसरा संख्या 857/3/, क्षेत्रफल 0.336 हेक्टेयर, जो ग्राम बहुरता, तहसील तखतपुर में स्थित है, का उल्लेख नामांतरण पंजी (प्रत्यक्ष पी-12) में नहीं है और पंजीकृत विक्रय-पत्र (प्रत्यक्ष डी-1) दिनांक 12.03.1981 के अनुसार, भूमि खसरा संख्या 218, क्षेत्रफल 1.70 हेक्टेयर, जो ग्राम राजाकांपा, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर में स्थित है,

प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह द्वारा सुखनी बाई और उसके पुत्र रामचरण उर्फ संतोष से खरीदी गई थी, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि उन जमीनों



को प्रतिवादी संख्या 1 – कुंवर सिंह ने अपनी स्वयं की कमाई या स्वयं अर्जित संपत्ति से अर्जित किया था, बल्कि यह साबित हो गया है कि उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति के विभाजन में अपने हिस्से में 3.206 हेक्टेयर वाद संपत्ति प्राप्त की थी और कुंवर सिंह (प्रतिवादी संख्या 1) की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। सिद्ध हो चुका है, इसलिए, संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर, यह साबित होता है कि उन वाद संपत्तियों को प्रतिवादी सं 1 – कुंवर सिंह ने अपने हिस्से में आने वाली अपनी पैतृक संपत्ति की आय से प्राप्त / खरीदा था, इसलिए, उपरोक्त दोनों संपत्तियां भी वादी की पैतृक संपत्ति पाई जाती हैं। इस प्रकार, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादी उपरोक्त दो संपत्तियों में हिस्सा पाने के हकदार नहीं हैं, विकृत और अवैध है, इसलिए, इसे अपास्त किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी उपरोक्त दो संपत्तियों यानी खसरा सं 857/3/डी क्षेत्र 0.336 हेक्टेयर, जो गांव बहुरथा, तहसील तखतपुर में स्थित है और खसरा सं 218, क्षेत्र 1.70, जो गांव राजाकांपा, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर में स्थित है, पर भी हिस्सा पाने के हकदार हैं।

14. यह पक्षकारों के बीच स्वीकृत/सिद्ध तथ्य है कि सगनी बाई (पहली पत्नी) के जीवनकाल में, उसके पति कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) ने अपनी पहली पत्नी सगनी बाई से तलाक लिए बिना हरकुंवर के साथ दूसरा विवाह (चूड़ी शादी) किया। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 – कुंवर सिंह की बेटियाँ हैं जो उनकी पहली पत्नी सगनी बाई से पैदा हुई हैं और प्रतिवादीगण कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) के बेटे, बेटियाँ और पोतियाँ हैं जो उनकी दूसरी पत्नी स्वर्गीय हरकुंवर से पैदा हुए हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी पहला विवाह के अस्तित्व में रहते हुए हरकुंवर के साथ दूसरा विवाह किया था, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 की दूसरा विवाह शून्य थी, इस तरह प्रतिवादी सं. 2 से 8 वाद संपत्ति का हिस्सा पाने के हकदार नहीं हैं, जो वादी और प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक संपत्ति है, क्योंकि वे (प्रतिवादी सं. 2 से 8) प्रतिवादी सं. 1 – कुंवर सिंह और हरकुंवर के अमान्य विवाह से पैदा हुए पुत्र, पुत्रियां और पौत्रियां हैं।

15. जिनिया केओटिन एवं अन्य बनाम कुमार सीताराम मांझी एवं अन्य 2 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शून्य अथवा शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे पैतृक सहदायिक संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा करने के हकदार नहीं हैं, बल्कि वे केवल माता-पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा करने के हकदार हैं। उपर्युक्त मामले में शून्य/शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की ओर से निम्न प्रकार से तर्क दिया गया था:---

“अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक बार जब अमान्य और अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को केंद्रीय अधिनियम 68/1976 द्वारा संशोधित धारा 16 के तहत विशेष रूप से संरक्षित किया गया है, तो पैतृक सहदायिक संपत्ति में भी उत्तराधिकार के दावों का समर्थन करके उन्हें वैध विवाह में पत्नी से पैदा हुए बच्चों के समान समान उपचार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के बिना हिंदू के लिए एक से अधिक पत्नियां रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और उक्त अधिनियम के कारण ही ऐसे विवाह अवैध या शून्य हो गए थे, इसलिए जब विधानमंडल ने धारा 16 में संशोधन करके ऐसे शून्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों को वैध बनाने का निर्णय लिया, तो निषेध को शिथिल माना



जाना चाहिए और कलंक को मिटा दिया जाना चाहिए ताकि संतान सभी उद्देश्यों के लिए वैध हो सके और इसलिए अधिनियम की धारा 16(3) के प्रावधानों को भी परिस्थितियों की समग्रता और वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों की तरह संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में विधि के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए व्याख्यायित किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए और अपील को खारिज करते हुए निम्न प्रकार से निर्णय दिया:---

"अधिनियम की धारा 16 में बच्चों को, चाहे वे नाजायज हों, वैध मानने के लिए एक काल्पनिक नियम जोड़ा गया है, भले ही विवाह शून्य या शून्यकरणीय हो, तथा इसके आवेदन को, जहां तक ऐसे बच्चों द्वारा उत्तराधिकार या विरासत का संबंध है, केवल माता-पिता की संपत्तियों तक ही सीमित रखा गया है। यद्यपि धारा 16 उन बच्चों को वैध बनाने के लिए अधिनियमित की गई थी, जो अन्यथा नाजायज बनकर कष्ट उठाते, साथ ही यह उप-धारा (3) में एक गैर-बाधक खंड के साथ एक प्रावधान जोड़कर स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निहित कुछ भी किसी ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे को, जो अमान्य है या जिसे धारा 12 के तहत अमान्यता के आदेश द्वारा निरस्त किया गया है, "किसी भी मामले में माता-पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जहां, यदि इस अधिनियम के पारित न होता, तो ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान न होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता।" विधानमंडल के ऐसे स्पष्ट आदेश के आलोक में, ऐसे बच्चों को, जिन्हें धारा 16 के बिना अवैध करार दिया जाता, अधिनियम की धारा 16 को अधिनियमित करने के मात्र उद्देश्य या उद्देश्य का सहारा लेकर, तर्क की किसी भी प्रकल्पित या अनुमानात्मक प्रक्रिया का सहारा लेकर, उसमें परिकल्पित अधिकारों के अलावा कोई और अधिकार प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करने का कोई भी प्रयास न केवल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) में विशेष रूप से शामिल प्रावधान का उल्लंघन करने के बराबर होगा, बल्कि अधिनियम में व्यक्त इच्छा के विरुद्ध, व्याख्या की आड़ में विषय पर पुनः विधि बनाने का प्रयास भी होगा।

16. रेवनसिद्धप्पा एवं अन्य बनाम मल्लिकारुजुन एवं अन्य 3 के संदर्भ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भित विवाद्यक यह था कि:

"क्या धारा 16(1) या 16(2) के तहत विधायी वैधता प्राप्त बच्चा धारा 16(3) के कारण माता-पिता की पैतृक/सहदायिक संपत्ति का हकदार है या क्या बच्चा केवल माता-पिता की स्व-अर्जित/पृथक संपत्ति का हकदार है?"

उपर्युक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के विभिन्न निर्णयों और प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए माना है कि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधता प्रदान की गई शून्य या शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा हिंदू मिताक्षरा संयुक्त परिवार में सहदायिक नहीं है।



हालांकि, ऐसा बच्चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के आदेश के अनुसार सहदायिक संपत्ति में माता-पिता के हिस्से का हकदार होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधता प्रदान की गई संतान को केवल माता-पिता की अनन्य और पूर्ण संपत्ति में अधिकार हैं, ऐसा बच्चा पैतृक / संयुक्त परिवार / सहदायिक संपत्ति का विभाजन नहीं मांग सकता है, जिसमें माता-पिता का हिस्सा है, माता-पिता के जीवनकाल के दौरान। विस्तृत चर्चा पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 81 में निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष तैयार करके संदर्भ का उत्तर दिया, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

“ 81.1. धारा 16 की उपधारा (1) के अनुसार, धारा 11 के तहत अमान्य विवाह से उत्पन्न संतान को वैधानिक रूप से वैधता प्रदान की जाती है, भले ही (i) ऐसी संतान का जन्म संशोधन अधिनियम 1976 के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो; (ii) अधिनियम के तहत उस विवाह के संबंध में अमान्यता का आदेश दिया गया हो और अधिनियम के तहत याचिका के अलावा किसी अन्य आधार पर विवाह को अमान्य ठहराया गया हो;

81.2 धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसार, जहां धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह को शून्यकरणीय डिक्री द्वारा निरस्त किया गया है, डिक्री किए जाने से पहले 'पैदा हुआ या गर्भ में पल रहा' बच्चा डिक्री के बावजूद उनका वैध बच्चा माना जाता है, यदि शून्यकरणीय डिक्री के बजाय विघटन की डिक्री पारित की गई होती तो बच्चा विवाह के पक्षकारों के लिए वैध होता;

(81.3) शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे को उपधारा (1) के अनुसार और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे को उपधारा (2) के अनुसार वैधता प्रदान करते हुए, जिसे निरस्त कर दिया गया है, विधानमंडल ने धारा 16 की उपधारा (3) में यह निर्धारित किया है कि ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में नहीं;

(81.4) एचएसए 1956 की धारा 3(1)(जे) के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, जिसमें प्रावधान भी शामिल है, एचएमए 1955 की धारा 16 द्वारा शून्य या, जैसा भी मामला हो, शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे को दी गई वैधता को एचएसए 1956 के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एचएसए की धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत वैध बच्चा, एचएसए 1956 की धारा 3(1)(जे) के प्रयोजनों के लिए, 'वैध रिश्तेदारी से संबंधित' स्पष्टीकरण के दायरे में आएगा और उसे प्रावधान के प्रयोजनों के लिए 'नाजायज बच्चा' नहीं माना जा सकता है;

(81.5) एचएसए 1956 की धारा 6 मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संस्था और सहदायिक की अवधारणाओं, जन्म से सहदायिक के रूप में हित के अधिग्रहण और सहदायिक संपत्ति में अधिकारों को मान्यता देना जारी रखती है। धारा 6 के प्रतिस्थापन से, पुत्रीयों को पुत्रों के समान समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसा कि धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा इंगित किया गया है;

(81.6) एचएसए 1956 की धारा 6 सहदायिक संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा 9 सितंबर 2005 से धारा 6 के प्रतिस्थापन से पहले, धारा 6 में एक हिंदू पुरुष की



मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण सहदायिक के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा निर्धारित किया गया था। उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का अपवाद वह था, जहां मृतक ने अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट किसी महिला संबंधी को या किसी महिला संबंधी के माध्यम से दावा करने वाले वर्ग I में किसी पुरुष संबंधी को जीवित छोड़ा हो, ऐसी स्थिति में मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। संशोधित धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार, 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद किसी हिंदू की मृत्यु होने पर, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, अधिनियम के तहत वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। धारा 6 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में मृतक हिंदू के हित के वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण का नियम आदर्श बना दिया गया है;

(81.7) एचएसए 1956 की धारा 8 निर्वसीयत मरने वाले पुरुष हिंदू की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रदान करती है। धारा 10 अनुसूची के वर्ग I के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण का प्रावधान करती है। धारा 15 निर्वसीयत मरने वाली महिला हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम निर्धारित करती है। धारा 16 में उत्तराधिकार के क्रम और महिला हिंदू के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का प्रावधान है;

(81.8) मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हिंदू के हित के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करते हुए, 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा मरने पर, धारा 6 (3) एक विधिक कल्पना निर्धारित करती है, अर्थात् 'सहदायिक संपत्ति को इस तरह विभाजित माना जाएगा जैसे कि विभाजन हुआ हो।' स्पष्टीकरण के अनुसार, हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार हो या नहीं;

(81.9) मृतक हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के हित का पता लगाने के उद्देश्य से, कानून सहदायिक की मृत्यु से तुरंत पहले की स्थिति की धारणा को अनिवार्य बनाता है, अर्थात् मृतक और सहदायिक के अन्य सदस्यों के बीच सहदायिक संपत्ति का विभाजन। एक बार जब मृतक का संपत्ति में हिस्सा पता चल जाता है जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले विभाजन हुआ होता, तो उसके उत्तराधिकारी जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें एचएमए 1955 की धारा 16 के तहत वैधता प्रदान की गई है, संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार होंगे जो मृतक को काल्पनिक विभाजन पर आवंटित किया गया होता, यदि यह हुआ होता; और

(81.10) एचएसए 1956 के प्रावधानों को एचएमए 1955 की धारा 16(3) के अधिदेश के साथ सुसंगत होना चाहिए जो इंगित करता है कि एक बच्चा जिसे उप-धारा (1) और (2) के तहत वैधता प्रदान की जाती है, वह माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अधिकार का हकदार नहीं होगा। माता-पिता की संपत्ति,



जहां माता-पिता का मिताक्षरा कानून के तहत शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हित था, को उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है।

17. इस प्रकार, उपर्युक्त केस कानून के अवलोकन से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि, शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे माता-पिता की पूर्ण संपत्ति में या उस पर अधिकार के हकदार होंगे, अन्य व्यक्तियों के नहीं और वे माता-पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन का दावा भी नहीं कर सकते हैं।

18. वर्तमान मामले में यह साबित होता है कि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1- कुंवर सिंह की पहली पत्नी- सगनी बाई से उत्पन्न पुत्रियां हैं, लेकिन चूंकि पहली शादी के अस्तित्व में रहने के दौरान उसके जीवनकाल में कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) ने हरकुंवर के साथ दूसरा विवाह किया था, इसलिए वह दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत शून्य था, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 2 से 8 वाद की संपत्ति के सहदायिक नहीं हैं, इसलिए वे वाद की संपत्ति पर वादीगण के समान बराबर हिस्सा पाने के हकदार नहीं हैं, बल्कि वे अपने पिता/दादा-कुंवर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 1) के हिस्से से हिस्सा पाने के हकदार हैं। दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त कानून को लागू करते हुए, पैतृक संपत्ति होने के नाते, वाद की संपत्ति वादी और उसके पिता कुंवर सिंह के बीच विभाजित की जानी चाहिए थी और उनमें से प्रत्येक को 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए था और कुंवर सिंह को प्राप्त 1/3 हिस्से में से ही प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को उनका हिस्सा मिलता।

19. हालांकि, प्रत्येक वादी मुकदमे की संपत्ति का 1/3 हिस्सा पाने का हकदार है, लेकिन उन्होंने खुद इस पर केवल 1/7 - 1/7 हिस्सा ही मांगा है। वादी द्वारा कम हिस्से का दावा करने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने शेष अधिकार/शेयरों का त्याग कर दिया है। इसके अलावा, यह स्थापित कानून है कि दलील पर नहीं मिलने वाली राहत नहीं दी जानी चाहिए। और यदि कोई न्यायालय राहत पर विचार करता है या प्रदान करता है, जिसके लिए कोई प्रार्थना या तर्क नहीं किया गया था, तो यह न्याय की विफलता हो सकती है। [देखिए: अकेला ललिता बनाम कोंडा हनुमंत राव और अन्य 4]

20. बछज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य 5 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह एक मौलिक नियम है कि किसी सिविल वाद में, दी जाने वाली अनुतोष केवल तर्क में की गई प्रार्थना के संदर्भ में ही दी जा सकती है। निर्णय का सुसंगत कंडिका 23 नीचे पुनः प्रस्तुत है:---

“23. यह मौलिक है कि सिविल मुकदमे में, दी जाने वाली राहत केवल दलीलों में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में ही दी जा सकती है। इसके अलावा, सिविल मुकदमों में, राहत प्रदान करना विभिन्न कारकों जैसे कि न्यायालय शुल्क, समय सीमा, वाद के पक्षकारों, साथ ही अनुतोष को रोकने के आधारों, जैसे कि पूर्वन्याय, विबंध, मौन स्वीकृति, कार्यवाही के कारणों या पक्षों आदि का गैर-संयुक्त होना, द्वारा सीमित होता है, जिसके लिए तर्क और सबूत की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना खतरनाक होगा कि सिविल वाद में जो भी अनुतोष मांगी गई है, न्यायालय तथ्यों की जांच करने के बाद कोई भी अनुतोष दे सकता है, जैसा कि वह उचित



समझे। एक लाख रुपये की वसूली के लिए वाद में, न्यायालय दस लाख रुपये के लिए डिक्री नहीं दे सकता है। संपत्ति 'ए' के कब्जे की वसूली के लिए दायर वाद में, न्यायालय संपत्ति 'बी' का कब्जा नहीं दे सकता है। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करने वाले मुकदमे में, न्यायालय घोषणा या कब्जे की अनुतोष प्रदान करता है। सिविल वाद में अनुतोष प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र अनिवार्य रूप से तर्क, प्रार्थना, अदा की गई अदालती फीस, पेश किए गए साक्ष्य आदि पर निर्भर करता है।"

21. इसके अलावा मनोहर लाल (डी) एलआरएस बनाम उग्रसेन (डी) एलआरएस और अन्य के मामले में 6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय तर्क के बाहर के आधारों पर आधारित नहीं हो सकते हैं और बिना मांगे गये अनुतोष, वाद पत्र में किसी संशोधन के प्रदान नहीं की जा सकती है।

22. इसलिए, हालांकि प्रत्येक वादी वाद संपत्ति पर 1/3 हिस्सा पाने का हकदार है, लेकिन उन्होंने प्रत्येक के लिए केवल 1/7 वां हिस्सा ही मांगा है, इसलिए, उन्हें उनके द्वारा मांगे गए हिस्से से अधिक हिस्सा नहीं दिया जा सकता है।

23. जहां तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(5) के संबंध में वादी द्वारा दायर सिविल वाद की स्थिरता के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का संबंध है। पूर्वोक्त प्रावधान इस प्रकार है:---

"6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण।

(1) -----

XXX XXX XXX XXX XXX

(5) इस धारा में निहित कोई भी बात उस विभाजन पर लागू नहीं होगी, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले किया गया हो।

स्पष्टीकरण.

– इस धारा के प्रयोजन के लिए "विभाजन" का अर्थ पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया विभाजन या किसी न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया विभाजन है।

24. उपर्युक्त प्रावधान का मात्र अवलोकन विशेष रूप से दर्शाता है कि यदि पार्टियों के बीच विभाजन पंजीकृत विभाजन विलेख या 20.12.2004 से पहले न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया था, तो ऐसे विभाजन को अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिकल्पित प्रावधानों के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि विभाजन पंजीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय की डिक्री द्वारा नहीं किया गया है, तो वह विभाजन अधिनियम, 1956 की धारा 6 (5) के तहत संरक्षित नहीं है।



25. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 – कुंवर सिंह ने अपने उत्तराधिकारियों के बीच पंजीकृत विक्रय-पत्र या न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन नहीं किया है, बल्कि कथित विभाजन पूरी तरह से अवैध विभाजन है, क्योंकि वादी को वाद की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। अपने हिस्से के बदले में, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी क्रमांक 1 के बेटे – सुशीला बाई के नाम पर कथित रूप से ट्रैक्टर खरीदा है और उसने अपने हिस्से के बदले में गहने भी लिए हैं, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ है। अंततः, वादीगण को उनके पिता कुंवर सिंह (प्रतिवादी सं. 1) द्वारा उनकी पैतृक संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, इसलिए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि वादीगण द्वारा दायर सिविल वाद अधिनियम, 1956 की धारा 6(5) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर पोषणीय नहीं है, पूरी तरह से गलत है। इसलिए, यह मान्य योग्य नहीं है। बल्कि जैसा कि पिछले पैराग्राफों में चर्चा की गई है, वाद की भूमि वादीगण और प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक संपत्ति है, इस प्रकार, वादीगण को भी वाद की संपत्ति विरासत में मिली है और इसलिए, वे अपना हिस्सा पाने के हकदार हैं।

26. वादीगण के तर्क और वादी क्रमांक 1 सुशीला बाई के बयान के अनुसार, जब वादीगण अपनी सौतेली मां हरकुंवर बाई की मृत्यु के कारण अक्टूबर, 2011 में अपने मायके में अनुष्ठान में भाग लेने गए थे और वाद की संपत्ति का बंटवारा चाह रहे थे, तब प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने उन्हें बताया कि वाद की संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका है, तब उन्हें पहली बार उपरोक्त तथ्य के बारे में पता चला। प्रतिवादी क्रमांक 1 – कुंवर सिंह (डीडब्लू-1) और जयपाल (डीडब्लू-2) ने यह बयान नहीं दिया है कि वाद की भूमि का कथित बंटवारा/म्यूटेशन वर्ष 1994 में स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल के नाम पर किया गया था, जो वादीगण की जानकारी में था। राजस्व दस्तावेजों (एक्स.पी-9) से (एक्स.पी-12) में भी यह तथ्य शामिल नहीं है कि इस तरह के विभाजन / नामांतरण से पहले वादी को कोई नोटिस जारी / तामील किया गया था, बल्कि यह पाया गया है कि वादी को उनके हिस्से से वंचित करने के लिए, प्रतिवादी सं 1 ने गुप्त तरीके से, केवल अपने दो बेटों अर्थात् स्वर्गीय रामगोपाल और जयपाल के नाम पर दावे वाली संपत्ति को म्यूटेट करवा लिया, इसलिए, विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि वादी को पहली बार अक्टूबर, 2011 के महीने में कथित अवैध विभाजन / नामांतरण के बारे में पता चला और वादी द्वारा 01.12.2011 को वाद दायर किया गया था, इस प्रकार, सिविल वाद समय सीमा अवधि के भीतर है, न्यायसंगत और उचित है। वैसे भी, परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 110 के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति से बहिष्कृत व्यक्ति द्वारा उसमें हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए सिविल वाद दायर करने के लिए "12 वर्ष" की समय सीमा निर्धारित की गई है, उस तिथि से जब वादी को बहिष्करण ज्ञात हो जाता है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया कि वाद समय सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है, जो कानून के आधार के भीतर है, जो इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।



27. इस प्रकार, यद्यपि प्रत्येक वादी वाद की संपत्ति का 1/3 हिस्सा पाने का हकदार है, लेकिन उन्होंने स्वयं कम हिस्सा अर्थात् 1/7 – 1/7 हिस्सा मांगा है, जो उन्हें दिया जाना चाहिए और इस प्रकार उन्होंने इस पर अपना शेष हिस्सा छोड़ दिया है। इसलिए, विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक वादी को वाद की संपत्ति का 1/7 हिस्सा दिया जाना उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर वैध पाया जाता है। इस प्रकार, इसकी पुष्टि की जाती है।

28. पूर्वगामी चर्चा के तहत, यह पाया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटकर दोनों वादियों को वाद की संपत्ति पर 1/7 वां हिस्सा देने में कोई विधीक त्रुटि नहीं की है, और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को यथावत रखता है कि वादियों द्वारा दायर सिविल वाद समय सीमा अवधि के भीतर है, यह भी विधि के अनुसार है। परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जाता है तथा अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा दायर द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है।

29. तदनुसार, विधि के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध दिया जाता है। परिणामस्वरूप, द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

30. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

